

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 715

राँची, दिनांक- 16-06-2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय :- एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 99 दिनांक 08.01.2021
2. मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, कोयला खनन परियोजना, हजारीबाग का पत्रांक 1040/PBCMP/PB/-NW/2021/40 दिनांक 12.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड की पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 99 दिनांक 08.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा Online तथा Hard Copy पाँच प्रतियों में प्राप्त हुई। इस कार्यालय के पत्रांक 538 दिनांक 07.04.2021 द्वारा विषयगत प्रस्ताव में पूर्व में पकरीबरवाडीह कोयला परियोजना में अपयोजित वनभूमि का Land use Change होने एवं इसकी भिन्नता की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण से निराकरण प्रतिवेदन मांगी गयी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, कोयला खनन परियोजना, हजारीबाग के पत्रांक 1040/PBCMP/PB/-NW/2021/40 दिनांक 12.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

वर्तमान प्रस्तावित परियोजना पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना का कुल प्रोजेक्ट एरिया 485.161 हे0 है। जिसमें से 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त एवं पूर्व में पकरीबरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट में अपयोजित वन भूमि (1026.438 हे0) में से मौजा उरुब में स्थानान्तरित कुल 20.6925 हे0 वनभूमि को इस परियोजना में सम्मिलित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. - 8-56/2009-FC दिनांक 17.09.2010 द्वारा पकरी-बरवाडीह में कुल (1026.4038 हे0) वन भूमि का स्टेज- II की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 240 दिनांक 31.03.2011 द्वारा विमुक्त किया गया है। उक्त पुराने प्रस्ताव के Land Schedule के अनुसार मौजा उरुब में वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी का कुल रकबा 190.56 हे0 दर्ज है, जिसमें मौजा उरुब में इस परियोजना में सम्मिलित प्रस्तावित 7 प्लॉट का कुल रकबा 109.71 हे0 अपयोजित हुआ है, जो कि निम्नवत् है :-

Acquired Forest Land of Urub Village

क्र0 सं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	सर्वे दर्जा	पकरी बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 1026. 438 हे0 प्रस्ताव में अपयोजित रकबा (हे0 में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान प्रस्तावित परियोजना पकड़ी बरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना में उपयोग हेतु प्रोजेक्ट एरिया में हस्तान्तरित हेतु रकबा (हे0 में)	अभियुक्ति
1	41	9	जंगल	9.11	7.3126	झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्रांक- 3/ वनभूमि-75/2009-124 0 दिनांक 31.03.2011 द्वारा परियोजना प्रस्ताव में सन्निहित 806.858 हे0 अधिसूचित वनभूमि विमुक्त।
2	41	10	जंगल	25.09	2.8408	
3	41	12	जंगल	34.80	1.9101	
4	41	13	जंगल	16.88	1.7037	
5	41	85	जंगल	11.53	3.6826	
6	41	94	जंगल	6.23	2.9137	
7	41	105	जंगल	6.07	0.3277	
कुल :-				109.71	20.6925	

पुराने वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पकरी-बरवाडीह (1026.4038 हे०) में मौजा उरुब में उपरोक्त प्लॉटों का उपयोग Mining including dump के लिए प्रतिवेदित था।

पुरानी पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रस्ताव में Environmental Clearance का कुल Lease area 3319.42 हे० है, जिसमें निम्नवत् भूमि का ब्योरा है :-

S.N.	Type of Land	Area (in ha)
i.	Forest Land	643.9
ii	Agriculture Land	1950.51
iii	Barren & Wasteland	159.64
iv	Grazing Land	135.00
v	Human Settlements	101.22
vi	Road & Seasonal Nala	29.15
Total :-		3319.42
In additional (Acquired out site the ML at a distance of 2 Km. from the ML for township.		68.5

पुराने प्रस्ताव के Mining Plan के अनुसार पकरीबरवाडीह परियोजना का कुल रकबा 4625.84 हे० है, जिसमें वनभूमि 1124.08 हे० एवं गैर वनभूमि सरकारी 806.82 हे० एवं नीज भूमि 2694.9 हे० प्रतिवेदित है। (Old Mining Plan chapter- 5.1.8 – table- 5.08 as Annex-A संलग्न)

इस प्रस्ताव में समर्पित Revised Mining Plan का कुल रकबा 4695.00 हे० है, जिसमें वनभूमि 1787.00 हे० एवं रैयती/सरकारी गैर वनभूमि 2908.00 हे० है। (Mining Plan Chapter-IX-Page. No. 1 & 2 पर द्रष्टव्य) (अनुलग्नक 23B संलग्न)

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(क) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे०)	अधिसूचित सीमांकित एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे० में)	कुल प्रस्तावित वनभूमि का रकबा (हे० में)	वनस्पति घनत्व
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	306.366	24.832	331.198	0.8

(ख) विषयगत प्रस्ताव के भूमि विवरणी के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 3685 दिनांक 23.12.2019 द्वारा पृच्छा की गई थी कि अंचल अधिकारी, कैरेडारी द्वारा ग्राम बेलतु के खाता सं० 190 के प्लॉट सं० 84P एवं 62P को जंगल पहाड़ तथा प्लॉट सं० 58P एवं 87 को जंगल-झाड़ी प्रतिवेदित किया गया है, जबकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी में उक्त प्लॉटों को जंगल बतलाया गया है। इसी प्रकार ग्राम कण्डाबेर के खाता सं० 110 के प्लॉट संख्या 559 के 1.96 एकड़ रकबा को गैर मजरूआ खास प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी में उक्त प्लॉट को जंगल बताया गया है एवं अंचल अधिकारी, बडकागांव द्वारा ग्राम उरुब के खाता सं० 49 के प्लॉट संख्या 635P, 661, 666, 677P एवं 689P को जंगल भूमि के रूप में प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्रयोक्ता

अभिकरण के द्वारा समर्पित भूमि विवरणी में उक्त प्लॉटों को जंगल झाड़ी बतलाया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 111 दिनांक 04.01.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ग्राम बेलतु, थाना बड़कागांव के प्लॉट संख्या 58, 62 और 87 अधिसूचित वनभूमि है एवं प्लॉट संख्या 84 सीमांकित वनभूमि है तथा ग्राम कण्डाबेर के प्लॉट संख्या 559 अधिसूचित वनभूमि है। जिसका अधिसूचना संख्या C/PF-10166/52-10R दिनांक 02.01.1953 है। साथ ही हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम उरुब के प्लॉट संख्या 635p, 661, 666, 677p एवं 689 अधिसूचित वनभूमि नहीं है। अंचलाधिकारी, प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षरीत भूमि विवरणी प्रस्ताव के साथ पृष्ठ संख्या 345 पर संलग्न है।

(ग) प्रश्नगत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्राप्त निम्नवत् अभिलेख/कागजात संलग्न भेजा जा रहा है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र Form-A (Part-I) समर्पित किया गया है तथा उसमें अभियुक्ति दर्ज है। (अनुलग्नक-01)
2. प्रस्ताव के साथ जंगल झाड़ी भूमि एवं वनभूमि से संबंधित विवरणी Land schedule अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।
3. प्रस्ताव के साथ अंचलाधिकारी बड़कागांव, अंचल अधिकारी केरेडारी, प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरीत भूमि विवरणी (Land schedule) अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।
4. प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।
5. R & R Plan Policy समर्पित करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-6 पर संलग्न है।
6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का अतिरिक्त शर्त लगाया जाता है तो उसका अनुपालन करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-7 पर संलग्न है।
7. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के पूर्व प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-8 पर संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ सी0ए0 एवं एन0पी0भी0 की राशि मांग पत्र के अनुसार जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-9 पर संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ Justification for Locating वनभूमि/गैर वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल झाड़ी से संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नक-10 पर संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ एन0टी0पी0सी0 के नार्थ कर्णपूरा कोल ब्लॉक से संबंधित प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति संबंधी पत्र अनुलग्नक-11 पर संलग्न है।
11. डी0जी0पी0एस0 सर्वे रिपोर्ट पी0बी0-ए0 ब्लॉक पकरी बरवाडीह कोल माईन्स एन0टी0पी0सी0 संबंधित विवरणी अनुलग्नक-12 पर संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ Cost benefit analysis अनुलग्नक-13 पर संलग्न है।
13. परियोजना में पातीत होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 30521 है। ग्रामवार वृक्षों की संशोधित संयुक्त गणना सूची प्रस्ताव के साथ अलग से अनु0-14 B पर संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ मूल टोपो मैप 1:50000 स्केल पर अपयोजित होनेवाले भूमि को दर्शाया गया है जो अनुलग्नक-15 पर संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि का Preparation of Geo-reference Map अनुलग्नक-16 पर संलग्न है।

16. प्रस्ताव के साथ Land use Map अनुलग्नक-17 पर संलग्न है।
17. प्रस्ताव के साथ Outer Boundary of Mining lease area (Patch-I, Patch-II & Patch-III) संबंधी मैप अनुलग्नक-18 पर संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ Copy of Geo-reference map of the forest land proposed to be diverted with showing safety zone area संबंधी मैप अनुलग्नक-19 पर संलग्न है।
19. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि यथा ग्राम बेलतु, बारियातु, बसरीया, नावाडीह, सीरमा, जबरा, कंडाबेर, उरुब को नक्शा पर दर्शाया गया मैप अनुलग्नक-20 पर संलग्न है।
20. प्रस्ताव के साथ उपायुक्त हजारीबाग के ज्ञापांक 1308 दिनांक 09.10.2019, ज्ञापांक 2530 एवं 2531 दिनांक 16.12.2020 द्वारा निर्गत ग्राम उरुब, बेलतु, बसरीया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं बारियातु का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुलग्नक-21 पर संलग्न है।
21. प्रस्ताव के साथ उपायुक्त हजारीबाग द्वारा निर्गत ग्राम बसरीया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं बारियातु का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र पत्रांक 1309 दिनांक 09.10.2019 अनुलग्नक-22 पर संलग्न है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पत्रांक-02 दिनांक 01.01.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि MoEF के पत्र संख्या 11-43/2013-FC दिनांक 26/02/2019 के अनुसार FRA की Final approval के समय आवश्यकता है का मंतव्य दिया गया है। इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वचनबद्धता पृष्ठ सं0-230 पर द्रष्टव्य। परियोजना में कुल 8 ग्रामों में से 5 ग्रामों का FRA प्राप्त है, 2 ग्रामों का FRA अप्राप्त है तथा 1 ग्राम में जंगल-झाड़ी भूमि नहीं है।
22. FRA एवं NOC समर्पित करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-5 पर संलग्न है।
23. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्गत Approval of revised mining plan and mine closure plan संबंधी पत्र अनुलग्नक-23 A पर संलग्न है।
24. Approved revised mining plan प्रस्ताव के साथ अलग से अनुलग्नक-23 B पर संलग्न है।
25. वर्तमान प्रस्ताव का Environmental Clearance प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव के साथ EC/EIA की स्वीकृति संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-24 एवं 24A पर संलग्न है।
26. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Biodiversity conservation, Water conservation, Soil conservation, Integrated Wildlife Management Plan (Specific plan based on NKCP) का Plan समर्पित करने संबंधी वचनबद्धता अनुपालन अनुलग्नक 24 B (पृष्ठ संख्या 51B) पर संलग्न है।
27. प्रस्ताव के साथ Flora & Fauna के लिए वचनबद्धता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-25 पर संलग्न है।
28. प्रयोक्ता अभिकरण का brief profile संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नक-26 पर संलग्न है।
29. प्रस्ताव Wildlife/National park से 10 कि०मी० के अंदर नहीं होने संबंधी प्रतिवेदन अनुलग्नक-27 पर संलग्न है।
30. प्रस्ताव के साथ Safety Zone की गणना संबंधी प्रतिवेदन अनुलग्नक-28 पर संलग्न है।
31. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का दोगुणा अवकृष्ट वनों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल का Geo-referance Map (CD) एवं उक्त स्थल का दस वर्षीय विशिष्ट प्राक्कलन नक्शा सहित अनुलग्नक-29 पर संलग्न है।
32. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा निर्गत CA Land Suitability Certificate अनुलग्नक-33 पर संलग्न है।

33. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा भरा गया पार्ट-2, स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुशंसा प्रतिवेदन एवं भरा हुआ पार्ट-II प्रतिवेदन संलग्न है। (अनुलग्नक-30, 31, 32)
34. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं भरा हुआ मंतव्य पार्ट-III की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-34 एवं 35)
35. प्रस्तावित परियोजना नॉर्थ कर्णपूरा कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़ती है। प्रस्ताव में CWLW का मन्तव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
36. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य पार्ट-IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत होते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्तों पर अनुशंसा की जाती है।

अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अग्रतर कार्रवाई हेतु संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

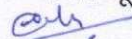
अनु0:-यथोक्त।

(मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


16-6

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Pakri Barwadih North-West Quarry (PB-A) Coal Block of M/s NTPC Ltd 331.198 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 331.198 ha of Forest land.

Date :- 16/06/2021

Place :- Ranchi

Signature



(A.K. Rastogi)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)